बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों की राज्यस्तरीय मासिक बैठक दिनांक– 03.07.2013 की कार्यवाही।

1 उपस्थितिः– पंजी के अनुसार।

2 सर्वप्रथम निदेशक, भू–अर्जन के द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों को परियोजनाओं हेतु भू–अर्जन कार्य की महत्ता को रेखांकित करते हुये भू–अर्जन प्रक्रिया के त्वरित गति से निष्पादन करने का निदेश दिया गया। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि भू–अर्जन प्रक्रिया में किसी प्रकार की उत्पन्न समस्या की स्थिति में निदेशालय से दूरभाष पर वार्ता की जा सकती है।

3 किसी प्रकार के भू–अर्जन के प्रस्ताव में खतियान/क्रमिक खतियान एवं नक्शा की प्रति में राजस्व ग्राम का नाम, राजस्व थाना नं0, जिला का नाम, खतियान/नक्शा का वर्ष स्पष्ट रूप से अंकित रहना चाहिए ताकि यह पता चल सके की खतियान व नक्शा किस सर्वे से संबंधित है।

प्रस्ताव में खेसरा पंजी की सत्यापित प्रति संलग्न रहना आवश्यक है जो क्रमानुसार खेसरा के अनुसार हो तथा परियोजना में अर्जित की जाने वाली भूमि के वास्तविक सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किया गया हो। सर्वेक्षित भूमि में अर्जन किये जाने वाले खेसरा का खतियानि रकवा के साथ–साथ अर्जन में लिए जाने वाले भूमि का प्रस्तावित रकवा/खेसरा का खतियानी किस्म तथा वास्तविक सर्वेक्षण के दौरान पायी गयी भूमि का वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त खतियान/क्रमिक खतियान/खेसरा पंजी/नक्शा की प्रति सक्षम प्राधिकार के द्वारा सत्यापित एवं अभिप्रमाणित रहना चाहिए।

4 यदि प्रस्तावित अर्जन में खतियान में दर्ज इन्द्राज के अनुसार कोई सरकारी भूमि सम्मिलित हो, जो बन्दोवस्ती के माध्यम से संबंधित रैयतो को प्राप्त हुआ हो, तो उसके सक्षम पदाधिकारी से जमाबंदी कायम किये जाने, इत्यादि की जांच कर संतुष्ट होने के उपरान्त समाहर्त्ता के द्वारा एतद संबंधी प्रतिवेदन के साथ उक्त भू–खण्ड का अर्जन हेतु प्रस्ताव प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से सरकार के स्तर पर भेजा जाय।

5 गैरमजरूआ आम/सर्वसाधारण भूमि, इत्यादि के अर्जन हेतु संबंधित ग्राम पंचायत/मुखिया / जिला परिषद्/धार्मिक न्यास बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण देने हेतु जिला स्तर से पत्र भेजा जाय तथा अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्ताव नियमानुसार सरकार के स्तर पर भेजा जाय।

6 अधियाची विभाग से विधिवत अधियाचना प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर भू–अर्जन अधिनियम की धारा–4/6 के तहत जिला स्तर पर प्रस्ताव गठित कर प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से सरकार स्तर पर उपलब्ध कराया जाय।

7 अधिनियम की धारा–4/6 के तहत सरकार स्तर से स्वीकृति एवं अधिसूचना/अधिघोषणा का समाचार पत्रों में प्रकाशन के उपरान्त 25–30 दिनों के भीतर धारा–7/17(1) के तहत प्रस्ताव गठित कर प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से सरकार स्तर पर उपलब्ध कराया जाय।

8 अधिनियम की धारा–7/17(1) के तहत स्वीकृति के पश्चात धारा–9 के तहत हितबद्ध रैयतों को नोटिस निर्गत कर आपतियों की सुनवाई के उपरान्त दर निर्धारण की कार्रवाई कर नियमानुसार 80% प्रारम्भिक राशि का भुगतान हितसंबद्ध रैयतों को किया जाय तथा अधियाची विभाग/प्राधिकार को धारा–7/17(1) के तहत स्वीकृति की तिथि से 30–45 दिनों के भीतर भूमि का दखल–कब्जा सौपने की कार्रवाई की जाय। यदि उक्त निर्धारित अवधि बीतने के बाद भी दखल–कब्जा लंबित रहता है तो इसके लिए उचित/वैध कारणों सहित प्रतिवेदन सरकार स्तर पर उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा बिलम्ब के लिए संबंधित पदाधिकारी दोषी/जिम्मेवार माने जायेंगे।

9 **लैंड बैंक** योजना के तहत जिला मुख्यालय हेतु 100.00 एकड़, अनुमण्डल मुख्यालय हेतु 50.00 एकड़ तथा प्रखण्ड मुख्यालय हेतु 30.00 एकड़ भू–अर्जन/अधिग्रहण की कार्रवाई के अन्तर्गत सर्वप्रथम जिला मुख्यालय हेतु भूमि (रैयती/सरकारी) का चयन कर तत्संबधी प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में भर कर (रकवा एवं भू–अर्जन नीति के तहत अनुमानित राशि सहित) एक सप्ताह में भू–अर्जन निदेशालय को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने का निदेश संबंधित जिला भू–अर्जन पदाधिकारी/प्रभारी भू–अर्जन पदाधिकारी को दिया गया था। लेकिन जिला मुख्यालय हेतु 100.00 एकड़ का प्रतिवेदन अभी तक गया, कटिहार,

मोतीहारी, मुंगेर एवं नवादा जिलों से अप्राप्त है। निदेशित किया जाता है कि 07.08.2013 के राज्यस्तरिय बैठक में निश्चित रूप से प्रतिवेदन के साथ जिला भू–अर्जन पदाधिकारी बैठक में भाग लेंगे।

10 प्रायः यह पाया जाता है कि भू–अर्जन प्रक्रिया प्रारम्भ करने के पूर्व समाहर्त्ता की अध्यक्षता में गठित स्थल–चयन समिति की अनुशंसा धारा–4/6 के तहत प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं रहता है। जबकि सरकार के द्वारा निर्गत निदेश के तहत प्रस्तावित भू–अर्जन/अधिग्रहण हेतु स्थल चयन की स्वीकृति समाहर्त्ता की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा जिला स्तर पर की जानी है। किसी परियोजना का स्थल–चयन का मामला विवादित नहीं हो, इसके लिये यह आवश्यक है कि भू–अर्जन का प्रस्ताव गठित करने के पूर्व समाहर्त्ता की अध्यक्षता में स्थल–चयन समिति की बैठक निश्चित रूप से कर ली जाय ताकि भविष्य में कोई विवाद न रहे।

11 मुख्यालय द्वारा त्रुटि निराकरण हेतु जिला से जो पृच्छाएँ की जाती है, उसका अनुपालन फैक्स/ई–मेल/विशेष दूत के माध्यम से एक सप्ताह के अन्दर निश्चित तौर पर किया जाय। ई–मेल के माध्यम से सूचना/प्रतिवेदन भेजने को प्राथमिकता दी जाय।

12 मा0 सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय में दायर SLP/MJC/LPA/CWJC, इत्यादि में यथा सम्भव दो सप्ताह के अंदर प्रतिशपथ पत्र/कारण पृच्छा दाखिल किया जाय तथा दायर प्रति शपथ पत्र/कारण पृच्छा की प्रति सभी अनुलग्नकों सहित भू–अर्जन निदेशालय को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराया जाय। इस विषय की साप्ताहिक समीक्षा की जाय तथा उसका भी प्रतिवेदन भेजा जाय।

13 पावरग्रीड/विद्युत उप केन्द्र तथा थर्मल पावर परियोजनाओं हेतु भूमि अर्जन कार्यो को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने का निदेश संबंधित पदाधिकारियों को पुनः दिया गया। इस विषयक भू–अर्जन कार्यो में किसी भी समस्या की स्थिति में अविलम्ब निदेशक, भू–अर्जन से दूरभाष पर सर्म्पक करने तथा अवश्यकतानुसार पत्राचार करने का निदेश दिया गया।

14 अधियाची विभाग/प्राधिकार के स्तर पर मुआवजा राशि लम्वित रहने की स्थिति में अधियाची विभाग/प्राधिकार को जिला स्तर से प्रत्येक माह स्मार पत्र निर्गत किया जाय तथा इसकी प्रति सरकार के संबंधित विभाग के प्रधान सचिव/निदेशक, भू–अर्जन को भी उपलब्ध कराया जाय। इसका अनुपालन दृढ़ता पूर्वक करने का निदेश सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों/प्रभारी जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों को पुनः दिया गया।

15 बैठक में उपस्थित सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी/प्रभारी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को अवगत कराया गया कि भू–अर्जन के प्रस्तावों का पर्यवेक्षण अब NIC के सहायता से निर्मित Management Information System (MIS) के तहत भी किया जा रहा है। इसके संबंध में I.T Manager के द्वारा सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों के साथ डेटा इन्ट्री ऑपरेटरों को प्रशिक्षण पूर्व में दिया जा चुका है तथा User Manual की प्रति भी दी गयी है। सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों को रिपोर्ट बनाने एवं पर्यवेक्षण करने हेतु प्रपत्र I , II एवं III के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी जा चुकी है। पुनः निदेश दिया गया कि जिला स्तर पर कार्यान्वित विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित भूमि अर्जन का अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र– I, II एवं III में भरकर प्रत्येक माह के प्रथम तारीख को भू–अर्जन निदेशालय में नियमित रूप से उपलब्ध कराया जाय। किसी माह के प्रथम तारीख को अवकाश रहने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जा सकेगा।

16 **एम0 आई0 एस0** पर प्राप्त प्रतिवेदन देखने से स्पष्ट हुआ है कि इसमें काफी अच्छी प्रगति है। लेकिन अभी भी कुछ जिलों यथा अररिया, मधुबनी, सारण, भोजपुर, जहानाबाद एवं गोपालगंज द्वारा प्रतिवेदन अप–डेट नहीं किया गया है, जो खेद का विषय है। इस संबंध में **एम0 आई0 एस0** पर प्रतिवेदन का अद्यतीकरण कार्य का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करने का निदेश सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों/प्रभारी जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों को पुनः दिया गया।

17 निदेशक, भू–अर्जन, बिहार, पटना का **E.mail- dla.bihar@yahoo.com** की सूचना सभी पदाधिकारियों को दी गई। साथ ही साथ मोबाइल एवं फैक्स सं0 की जानकारी दी गयी। मोबाइल नं0–9470032796 एवं 7782971795/ फैक्स नं0–0612, 2217439 है।

18 सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों/प्रभारी भू–अर्जन पदाधिकारियों एवं सभी विशेष जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों को यह निदेश दिया गया कि जिला भू–अर्जन कार्यालयों/विशेष भू–अर्जन कार्यालयों में

अधिष्ठापित Computer, Broad band, Internet etc. इत्यादि के माध्यम से सूचनाओं का यथासाध्य आदान–प्रदान किया जाय।

19 बैठक में मासिक प्रगति प्रतिवेदन को On Line भेजने के संबंध में विस्तृत रूप से सभी पदाधिकारियों को पुनः अवगत कराया गया एवं यथाशीघ्र सभी प्रतिवेदन ऑन लाईन भेजने का निदेश दिया गया। विदित हो कि सरकार द्वारा निरूपित प्रावधान के अनुसार भू–अर्जन की प्राक्कलित राशि में 0.5 प्रतिशत (आधा प्रतिशत) जो आकस्मिक मद में व्यय हेतु कर्णांकित रहती है, इसी मद से भू–अर्जन कार्यालय प्रयोजन हेतु भाड़े पर वाहन/कम्प्यूटर /कम्प्यूटर ऑपरेटर का प्रावाधान किया गया है। इस संबंध में विस्तृत दिशा निदेश बिहार भू–अर्जन पुनःस्थापन एवं पुनर्वास नीति–2007 के विभागीय संकल्प सं0–395/रा0 19.02.07 के कंडिका 4.2 में दी गई है।

20 विधान सभा/विधान परिषद् से संबंधित लंबित आश्वासन एवं तारांकित प्रश्नों का अनुपालन/जबाव शीघ्र भेजवाएँ, जिससे अनुपालन प्रतिवेदन सही समय पर संबंधित अधिकारी को भेजा जा सके। इसमें किसी भी स्तर पर विलम्ब नहीं होनी चाहिए।

21 जिला भू–अर्जन कार्यालयों में कर्मियों की कमी की स्थिति **में बिहार भू–अर्जन पनःस्थापन एवं पुनर्वास नीति–2007** के संकल्प संख्य–747/रा0 दिनांक–13.05.08 की कंडिका–4.2 में निरूपित प्रावधानों के आलोक में कार्य संपादित कराया जाय। किसी भी स्थिति में कर्मियों की कमी के कारण भू–अर्जन कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए।

22 सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि धारा–4/6 के प्रस्ताव अर्थात अधिसूचना/अधिघोषणा की प्रतिलिपि जिला अवर निबंधक को अवश्य ही आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजे।

23 सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि विशेष जिला भू–अर्जन पदाधिकारी से प्राप्त भू–अर्जन संबंधित प्रस्ताव को भी त्वरित गति से निष्पादित करेंगे तथा सहयोग प्रदान करेंगे। भू–अर्जन से संबंधित किसी विषय पर अगर निदेशक, भू–अर्जन एवं पुनर्वास, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा बैठक बुलाई जाती है तो सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी/प्रभारी भू–अर्जन पदाधिकारी उक्त बैठक में निश्चित रूप से भाग लेंगे।

24 लंबित ए0सी0–डी0सी0 विपत्रों का समायोजन की कार्रवाई को त्वरित गति से निष्पादित करने का निदेश संबंधित सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी/प्रभारी भू–अर्जन पदाधिकारी को दिया गया।

25 जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों के रिक्त पदो के विरूद्ध शक्ति प्रदत का प्रस्ताव एक सप्ताह के अन्दर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को उपलब्ध करने का निदेश सभी संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया।

26 विभिन्न परियोजनाओं हेतु सरकार स्तर पर भू–अर्जन/अधिग्रहण की कार्रवाई के अन्तर्गत हितसंबद्ध रैयतों को नियमानुसार निर्धारित समय–सीमा के अन्दर शत–प्रतिशत मुआवजा भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों/प्रभारी भू–अर्जन पदाधिकारियों को दिया गया।

27 **मुख्य मंत्री जनता दरबार** से प्राप्त जनशिकायत पत्र जो आपको प्रेषित है जिसका अनुपालन आज तक लंबित है, जिसकी अनुपालन प्रतिवेदन हेतु बार–बार स्मार पत्र भी दिया गया है। इसकी सूची भी सभी अपर समाहर्त्ता/वरीय उपसमाहत्ताओं को मुख्यालय की बैठक में हस्तगत कराया जाता है। पुनः अनुरोध है कि लंबित जनशिकायत पत्रों का निष्पादन कर अनुपालन प्रतिवेदन के साथ जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को दिनांक–07.08.2013 के राज्यस्तारीय मासिक बैठक में भाग लेने के लिए निदेशित किया जाय।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समापन किया गया।

ह0/–
(देवेन्द्र कुमार वर्मा)
निदेशक, भू–अर्जन।

.ापांकः—14 / डी.एल.ए. बैठक (जि0भू0अ0पदा0 कार्यवाही)—19 / 11—......../पटना, दिनांक ..../.../2013

प्रतिलिपिः—

1. मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. विकास आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रधान सचिव / सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रधान सचिव, उद्योग विभाग / प्रवंध निदेशक आधार भूत संरचना विकास प्राधिकार, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. सचिव, गन्ना विकास विभाग बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
6. सचिव, उर्जा विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रमंडलीय आयुक्त, पटना / भागलपुर / मुंगेर / मगध / पुर्णियां / सहरसा / सारण / तिरहुत / दरभंगा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
8. सभी समाहर्त्ताओं को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
9. सभी अपर समाहर्त्ताओं को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
10. सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
11. मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी (निर्माण), पूर्व मध्य रेलवे, महेन्द्रूघाट, पटना।
12. उप मुख्य अभियंता / नि0 / भूमि / महेन्द्रूघाट, पटना।
13. प्रवंधक (मानव संसाधन), एन.टी.पी.सी. बाढ़, पटना।
14. उप महाप्रबंधक,(एस0टी0), पावरग्रीड कॉरपोरेशन, द्वितीय तल, अलंकार पैलेस, बोरिंग रोड, पटना–800001.
15. मुख्य प्रबंधक (बॉका / लखीसराय), पावरग्रीड कॉरपोरेशन, पॉचवीं तल, अलंकार पैलेस, बोरिंग रोड, पटना–800001.
16. कार्यपालक निदेशक, राष्ट्रीय जल विधुत पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, विधुत भवन–II, बेली रोड, पटना।
17. उप मुख्य अभियंता, पूर्व मध्य रेलवे, राजगीर।
18. उप मुख्य अभियंता / निर्माण, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर।
19. उप मुख्य अभियंता, हरनौत रेल कारखाना, पूर्व मध्य रेलवे, नालन्दा।
20. उप मुख्य अभियंता, गंगा ब्रीज, पटना।
21. द्वितीय कमान अधिकारी, 14 वी.एन.एस.एस.वी, जयनगर (मधुबनी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
22. परियोजना निदेशक, एन0एच0ए0आई0, डी0–63, श्री कृष्णापुरी, पटना।
23. प्रबंधक, (तकनीकी), पी0आई0यू0, एन0एच0ए0आई0, दरभंगा।

ह0 / –
(देवेन्द्र कुमार वर्मा)
निदेशक, भू–अर्जन।

ज्ञापांकः—14 / डी.एल.ए. बैठक (जि0भू0अ0पदा0 कार्यवाही)—19 / 11—1966 / पटना, दिनांक—02/08/ 2013

प्रतिलिपिः— विभागीय आई0 टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं विभागीय बेव साइट मे यथा स्थान शीध्र प्रकाशनार्थ।

01/08/13

(देवेन्द्र कुमार वर्मा)
निदेशक, भू–अर्जन।

D:\Ranjeet Land Acquistion D\Dinesh Ji\Meeting 2013\03-07-13 Prosdig doc4